अध्याय-1
परिचय

1.1 बजट रूपरेखा

राज्य में 48 विभाग एवं 30 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का विवरण **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका-1.1 : वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
राजस्व व्यय					
सामान्य व्यय	3599	4350	5247	5904	6649
सामाजिक सेवायें	6153	8024	8310	10477	11456
आर्थिक सेवायें	3524	4423	5091	5560	8012
सहायता अनुदान एवं अंशदान	519	468	707	687	854
योग(1)	**13795**	**17265**	**19355**	**22628**	**26971**
पूंजीगत व्यय					
पूंजीगत परिव्यय	2940	2745	2952	4056	4919
संवितरित ऋण तथा अग्रिम	491	897	567	1269	1889
लोक ऋण की अदायगी	489	652	691	853	1039
आकस्मिकता निधि	1	-	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	19585	23879	26896	32940	38527
अंतिम नगदी शेष	2059.67	1569.66	2712.22	2700.86	2116.94
योग (2)	25565.67	29742.66	33818.22	41818.86	48490.94
महायोग (1+2)	**39360.67**	**47007.66**	**53173.22**	**64446.86**	**75461.94**

(स्त्रोतः- वार्षिक वित्त विवरण एवं राज्य बजट व्याख्यात्मक ज्ञापन)

1.2 राज्य शासन के संसाधनों का उपयोग

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008-13 में कुल ₹ 1,22,739 करोड़ व्यय[1] किया गया था। वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य शासन का कुल व्यय ₹ 17,226 करोड़ से बढ़कर ₹ 33,779 करोड़ हो गया था, राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2008-09 में ₹ 13,795 करोड़ से 95.51 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 26,971 करोड़ हो गया था। वर्ष 2008-10 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 73.56 प्रतिशत बढ़कर ₹ 8,373 करोड़ से ₹ 14,532 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 67.31 प्रतिशत बढ़कर ₹ 2,940 करोड़ से ₹ 4,913 करोड़ हो गया।

वर्ष 2008-13 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 79.85 से 84.62 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय का हिस्सा 12.91 से 17.07 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, कुल व्यय 18.46 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा जबकि राजस्व प्राप्तियाँ 17.31 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ी।

[1] कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण तथा अग्रिम शामिल है।

1.3 अनवरत बचतें

12 प्रकरणों में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रति अनुदान में ₹ 10 करोड़ से अधिक की अनवरत बचतें रही जैसा कि **तालिका-1.2** में विवरण दिया गया है:-

तालिका-1.2: 2008-13 के दौरान अनवरत बचत सहित अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

स.क्र	अनुदान क्र	अनुदान का नाम	बचत की राशि					कुल प्रावधान	2012-13 का बचत प्रतिशत
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13		
राजस्व दत्तमत									
1	10	वन	44.11	23.62	34.10	12.01	73.40	671.56	11
2	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	21.92	16.82	18.10	13.16	30.78	299.88	10
3	41	आदिमजाति क्षेत्र उपयोजना	258.32	212.90	295.37	78.74	629.07	3693.37	17
4	44	उच्च शिक्षा	38.12	100.21	34.35	139.25	146.54	434.52	34
5	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबधित व्यय	29.82	151.19	165.61	42.91	156.44	739.30	21
6	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	80.44	60.64	117.25	37.19	284.43	1211.07	23
7	79	चिकित्सा शिक्षा से संबंधित व्यय	82.07	39.77	48.81	60.89	56.11	258.74	22
स.क	**अनुदान क्र**	**अनुदान का नाम**	**बचत की राशि**					**कुल प्रावधान**	**2012-13 का बचत प्रतिशत**
			2008-09	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**		
पूंजीगत दत्तमत									
8	24	लोक निर्माण कार्य, सड़क एवं पूल	135.42	124.04	40.93	246.36	73.63	845.80	9
9	41	आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	116.26	117.83	33.22	30.98	734.34	1,937.09	38
10	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़क एवं पूल	139.91	133.50	115.70	232.71	234.80	459.90	51
11	67	लोक निर्माण कार्य भवन	53.31	52.14	57.55	263.62	149.14	347.78	43
12	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य भवन	75.45	73.92	38.92	57.10	74.24	182.38	41

(स्त्रोतः- संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

1.4 सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित राशि

वर्ष 2012-13, के दौरान भारत सरकार ने राज्य बजट के माध्यम से भेजे बिना सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को ₹ 4,497.58 करोड़ हस्तांतरित किया। भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई निधियों की देख-रेख के लिए राज्य में कोई एकल एजेंसी नहीं है और ऐसे प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं व महत्वपूर्ण योजनाओं पर एक विशेष वर्ष में वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी थी, के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे जिसका कार्यान्वयन राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है एवं भारत सरकार द्वारा सीधे निधियाँ दी गयी है।

1.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है:-

तालिका-1.3: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आयोजनेत्तर अनुदान	662.19	1,482.20	1,397.45	1,545.07	1,227.29
राज्य आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	1,030.72	1,429.42	2,169.91	1,930.51	2,112.69
केन्द्रीय आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	56.62	71.84	47.95	61.75	107.28
केन्द्र प्रवर्तीत योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	859.38	623.28	838.58	1,238.88	1,263.07
कुल	2,608.91	3,606.74	4,453.89	4,776.21	4,710.33
विगत वर्षों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	18.32	38.25	23.49	7.24	(-) 1.38
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	16.66	19.87	19.60	18.46	15.93

(स्त्रोतः- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6 योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

व्ययों, गतिविधियों की क्लिष्टता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हितधारकों से संबंधित तथा विगत लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर आधारित विभिन्न शासकीय विभागों/संगठनों/ स्वायत्त निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिम के आकलन के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इन जोखिम के आकलन के आधार पर, लेखापरीक्षा की बारंबारता तथा मात्रा का निर्णय किया जाता है और एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण किये जाने के पश्चात, कार्यालय प्रमुख को एक माह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निवेदन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समावेशित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है। जैसे ही उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्ष या तो निराकृत की जाती है या अनुपालन के लिए आगे की कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही की जाती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं।

2012-13 के दौरान, राज्य के 309 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं एक स्वायत्त निकाय का अनुपालन लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया। इसके अलावा, पाँच निष्पादन लेखापरीक्षा भी किये गये।

1.7 निरीक्षण प्रतिवेदन पर प्रतिक्रिया का अभाव

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा लेन-देनों के नमूना जाँच और निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखांकनों व अन्य अभिलेखों के संधारण के सत्यापन द्वारा शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के उपरांत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (निप्र) जारी किया जाता है। जब लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान पाये गए महत्वपूर्ण अनियमितताओं आदि का निराकरण वहीं पर नहीं किया जाता है तो ये निप्र निरीक्षित कार्यालय प्रमुख और अगले उच्च प्राधिकारी को जारी किये जाते है। कार्यालय प्रमुख और अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा इस निप्र की प्राप्ति से चार सप्ताह के भीतर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना आवश्यक होता है।

लेखापरीक्षा जाँच के परिणाम के आधार पर 31 मार्च 2013 की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिका **तालिका 1.4** में दर्शायी गयी है:-

तालिका-1.4: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/ कंडिकायें

स.क्र	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकायें	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
1	सामान्य	233	1065	419.48
2	सामाजिक	1889	4446	3773.17
3	आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	988	3547	5198.55
योग		**3110**	**9058**	**9391.20**

2012-13 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकें हुई जिसमें 24 निरीक्षण प्रतिवेदनों और 155 कंडिकाओं का निराकरण किया गया।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में समावेशित अवलोकनों पर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करने में विभागीय अधिकारी असफल रहे परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षय हुआ।

ये अनुशंसित है कि लेखापरीक्षा अवलोकनों पर त्वरित और उपर्युक्त प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु शासन इस विषय पर ध्यान दें।

1.8 सार्थक लेखापरीक्षा अवलोकनों (प्रारूप कंडिका/समीक्षा) पर शासन की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षो में लेखापरीक्षा द्वारा अपने प्रतिवेदनों में विविध कार्यक्रम/क्रियाकलापों के कार्यान्वयन में कमी के साथ-साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता में कई सार्थक कमियों को उजागर किया है, जिनका नकारात्मक प्रभाव कार्यक्रम की सफलता और विभाग के कार्यकलाप पर था। विशिष्ट कार्यक्रम/योजनाओं की लेखापरीक्षा और कार्यकारियों को सुधारात्मक कदम उठाने एवं नागरिकों को सेवा के प्रदाय में सुधार लाने के लिए उपर्युक्त अनुशंसायें देने पर फोकस था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा एवं लेखापरीक्षा नियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/प्रारूप कंडिकाओं पर एक माह के अन्दर विभागों को अपना उत्तर प्रेषित करना वांछित है । उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये

जाने वाले इन कंडिकाओं को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था अतः यह वांछित है कि प्रकरण पर उनकी टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जावे। उन्हें प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा हेतु महालेखाकार से मीटींग करने हेतु भी सलाह दी गई थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को भी उनके उत्तर प्राप्त करने हेतु अग्रेषित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए पाँच निष्पादन लेखापरीक्षा, चार वृहद प्रारूप कंडिका और नौ प्रारूप कंडिकाओं पर प्रारूप प्रतिवेदनों को संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किया गया था। लेकिन केवल 13 प्रकरणों में शासन का जवाब प्राप्त हुआ।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यप्रणाली की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार प्रशासकीय विभागों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः प्रेरित कार्यवाही प्रारम्भ की जानी थी, चाहे उन्हें लोक लेखा समिति द्वारा जाँच हेतु लिया जाय अथवा नहीं। उन्हें विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के छः माह के अंदर उठाये गए अथवा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्यवाही को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा द्वारा जाँची जा चुकी अपनी विस्तृत टिप्पणियाँ प्रस्तुत करना था।

दिनांक 31 अगस्त 2013 की स्थिति में 31 मार्च 2012 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं पर प्राप्त एक्शन टेकन नोट्स (एटीएन) की स्थिति **तालिका 1.5** में दर्शायी गयी है।

तालिका -1.5: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर एक्शन टेकन नोट्स (एटीएन) की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 अगस्त 2013 तक लंबित एटीएन	राज्य विधानसभा में प्रस्तुतीकरण दिनांक	एटीएन प्राप्ति का देय दिनांक
सिविल/सामाजिक सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	2009-10	10	08	28 मार्च 2011	27 सितम्बर 2011
	2010-11	14	16	03 अप्रैल 2012	02 अक्टूबर 2012
	2011-12	14	14	17 जुलाई 2013	16 जनवरी 2014

1.10 स्वायत्त् निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्थिति

राज्य में 30 स्वायत्त निकाय हैं जिसमें से दो स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा को सौंपने तथा स्वायत्त निकायों द्वारा प्रस्तुत लेखों की स्थिति **तालिका 1.6** में दर्शायी गई है

तालिका-1.6: लेखों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

स.क्र	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जहां तक लेखे प्रस्तुत किये गए
1	छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल	2004-05 से 2009-10 एवं 2007-08 से 2011-12	अगस्त 2013 तक कोई लेखे प्रस्तुत नहीं किये गए।
2	छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला विधिक सेवायें प्राधिकरण	2007-08 से 2011-12	वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लेखे प्रस्तुत किये गये।

इन दो निकायों के 13 बकाया वार्षिक लेखों में से छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला विधिक सेवायें प्राधिकरण (छग जिविसेप्रा) के चार लेखें प्राप्त हुए है (नवम्बर 2012)। छग राज्य एवं जिला विधिक सेवाएं के वर्ष 2007-08 के लेखाओं का लेखापरीक्षा किया गया तथा प्राधिकरण को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया (जूलाई 2013)। परंतु पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधान सभा में रखे जाने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नही है (फरवरी 2014)।